भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- 99

उत्तर देने की तारीख- 05.02.2026

लघु वन उत्पादों की खरीद और विपणन

***99.** श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा :

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु वन उत्पादों (एमएफपी) की खरीद और विपणन में सुधार लाने के लिए कोई पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार स्थापित वन धन स्व-सहायता समूहों, वन धन विकास केन्द्रों और वन धन उत्पादक उद्यमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड (ट्राइफेड) के उत्पादों की कम मांग सहित इसके समक्ष आ रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए किसी कार्ययोजना पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2022 से ट्राइफेड द्वारा खरीदे गए लघु वन उत्पादों और गैर-लघु वन उत्पादों और इसके लिए भुगतान किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) वायनाड लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए वर्ष 2022 से इस प्रकार की खरीद के लाभार्थियों की संख्या कितनी है और कितने न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया है;

(च) क्या सरकार का विचार ट्राइफेड के खुदरा बिक्री केन्द्रों के नेटवर्क का विस्तार करने का है और यदि हां, तो वायनाड लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित केरल में स्थापित किए जाने वाले ऐसे बिक्री केन्द्रों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार लघु वन उत्पादों के संग्रहण और विपणन में शामिल जनजातीय उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए कोई कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री
(श्री जुएल ओराम)

(क) से (छ) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लघु वन उत्पादों की खरीद और विपणन के संबंध में दिनांक 05.02.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *99 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) : जनजातीय कार्य मंत्रालय देश भर में जनजातीय लाभार्थियों की आजीविका सृजन के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड (ट्राइफेड) के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना क्रियान्वित करता है। इस योजना के तहत, मंत्रालय लघु वन उत्पादों (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अधिसूचित करता है और अधिसूचित किए गए एमएसपी पर एमएफपी की खरीद के लिए राज्य सरकारों को परिक्रामी निधियां प्रदान करता है। इस घटक का उद्देश्य जनजातीय संग्राहकों को उनके संग्रहण करने, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन आदि के प्रयासों के लिए उचित मूल्य उपलब्ध कराना है। खरीदे गए एमएफपी की बिक्री से प्राप्त निधियों को राज्य सरकारों द्वारा वापस परिक्रामी निधियों में जमा कर दिया जाता है। 2013-14 में 10 MFPs से शुरू हुई लिस्ट अब बढ़कर 87 MFPs हो गई है। 87 एमएफपी की सूची जिनके लिए मंत्रालय ने एमएसपी अधिसूचित किया है, **अनुलग्नक -I** में दी गई है। अब तक (आज की तारीख तक), मंत्रालय ने एमएसपी पर एमएफपी की खरीद के लिए राज्य सरकारों को 319.65 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इसके अतिरिक्त, पीएमजेवीएम योजना के तहत, राज्य सरकारों को प्रत्येक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है जो मुख्य रूप से जनजातीय एसएचजी के समूह होते हैं, जिनका गठन एमएफपी/गैर-एमएफपी के मूल्य संवर्धन और विपणन के माध्यम से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए किया गया है। हर वीडीवीके में लगभग 15 वन धन एसएचजी होते हैं और उनमें 300 तक सदस्य हो सकते हैं।

(ख) : 2019-20 से, देश भर में 12.33 लाख जनजातीय सदस्यों को जोड़ते हुए 4,125 वीडीवीके स्थापित करने के लिए 61,212.7 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि पिछली योजना 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) का विपणन और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास' (2021-22 तक) और 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन' (PMJVM) के तहत दी गई है। इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) योजना के तहत, 0.46 लाख सदस्यों को जोड़ते हुए 539 वीडीवीके स्थापित करने के लिए 2,298.05 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। पीएमजेवीएम वीडीवीके और पीएम जनमन वीडीवीके का राज्य-वार स्थिति **अनुलग्नक -II** में दी गई है।

(ग) : पीएमजेवीएम के क्रियान्वयन में आने वाली विभिन्न चुनौतियां, जिसमें इसके उत्पादों की कम मांग भी शामिल है, के समाधान के लिए ट्राइफेड द्वारा उठाए जा रहे कदम इस प्रकार हैं:

i. **खरीदे गए एमएफपी का समय पर निपटान :** राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईएएस) को यह अधिदेश दिया गया है कि गुणवत्ता खराब होने से बचाने और रखरखाव का खर्च कम करने के उद्देश्य से वे खरीदे गए एमएफपी को खरीद के छह महीने के भीतर निपटाएं/बेच दें।

ii. **मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण :** वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) के माध्यम से एमएफपी का मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और पैकेजिंग की जाती है, जिससे जनजातीय उत्पादकों के लिए उत्पाद की गुणवत्ता, विपणन क्षमता और मूल्य प्राप्ति में वृद्धि होती है। ज़्यादातर क्रियाशील वीडीवीके में महुआ (लड्डू, चिक्की और तेल), इमली (केक और अचार), हर्रा (चूर्ण और सूखा पाउडर), बांस (फर्नीचर, अचार, शराब, झाड़ू, मग, कप, अंगूठी वगैरह) जैसे उत्पादों के लिए एमएफपी मूल्य संवर्धन गतिविधियाँ सक्रिय रूप से हो रही हैं।

iii. **तैयार उत्पादों की मार्केटिंग :** तैयार मूल्य-संवर्धित उत्पादों को मार्केट पहुंच विस्तार और जनजातीय उत्पाद की मांग बेहतर करने को ध्यान में रखते हुए ट्राइफेड के "ट्राइब्स इंडिया" आउटलेट्स और tribesindia.com, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी), अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन ई-कॉमर्स पोर्टल्स के ज़रिए बेचा जाता है।

iv. **क्षमता निर्माण :** ट्राइफेड वीडीवीके सदस्यों के लिए प्रारंभिक प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, उद्यम विकास इत्यादि के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण भी देता है।

(घ) : राज्य-वार लघु वन उत्पादों की खरीद का विवरण **अनुलग्नक -III** में दिया गया है।

(ड.) : पीएमजेवीएम योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एमएफपी की खरीद के लिए केरल राज्य के वायनाड संसदीय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(च) : अभी तक ट्राइफेड रिटेल आउटलेट्स के नेटवर्क को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ट्राइफेड वर्तमान में देश भर में अपने 116 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स के खुदरा श्रृंखला तंत्र (रिटेल चेन नेटवर्क) के माध्यम से काम करता है, जिसमें 101 स्वयं के स्टोर, 09 फ्रेंचाइजी स्टोर और 06 माल प्रेषण (कंसाइनमेंट) आउटलेट शामिल हैं, इनमें से 5 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट केरल राज्य में हैं (एर्नाकुलम, वायनाड, कोच्चि, कोचीन, तिरुवनंतपुरम) जिसमें वायनाड के एन्नुरु हेरिटेज विलेज में एक (01) शामिल है।

(छ) : पीएमजेवीएम योजना के तहत, राज्य सरकारों को प्रत्येक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है जो मुख्य रूप से जनजातीय एसएचजी के समूह होते हैं, जिनका गठन एमएफपी/गैर-एमएफपी के मूल्य संवर्धन और विपणन के माध्यम से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए किया गया है। हर वीडीवीके में लगभग 15 वन धन एसएचजी होते हैं और उनमें 300 तक सदस्य हो सकते हैं। 2019-20 से, देश भर में 12.33 लाख जनजातीय सदस्यों को जोड़ते हुए 4,125 वीडीवीके स्थापित करने के लिए 61,212.7 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि पिछली योजना 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) का विपणन और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास' (2021-22 तक) और 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन' (PMJVM) के तहत दी गई है। इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) योजना के तहत, 0.46 लाख सदस्यों को जोड़ते हुए 539 वीडीवीके स्थापित करने के लिए 2,298.05 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। पीएमजेवीएम वीडीवीके और पीएम जनमन वीडीवीके का राज्य-वार स्थिति **अनुलग्नक -II** में दी गई है।

"लघु वन उत्पादों की खरीद और विपणन" के संबंध में दिनांक 05.02.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *99 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

एमएफपी के लिए एमएसपी योजना के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित एमएफपी/वस्तुएं और उनकी एमएसपी दरों की सूची

क्र. सं.	एमएफपी का नाम	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एमएसपी (रुपये प्रति किलोग्राम में)	श्रेणी एफ-वन ए-कृषि पी-संसाधित एम-औषधीय एच-बागवानी	प्रयोज्यता
1	इमली (बीज सहित) (टैमारिंडस इंडिका)	36	एफ	अखिल भारत
2	जंगली शहद (वाइल्ड हनी)	225	एफ	अखिल भारत
3	गोंद कराया (स्टेरकुल्या यूरेनस)	114	एफ	अखिल भारत
4	करंज के बीज (पोंगामिया पिन्नाटा)	22	एफ	अखिल भारत
5	साल के बीज (शोरियारोबुस्टा)	20	एफ	अखिल भारत
6	महुआ के बीज (मधुकलोंगीफोलिया)	29	एफ	अखिल भारत
7	साल के पत्ते (शोरिया रोबुस्टा)	35	एफ	अखिल भारत
8	बीज सहित चिरौंजी की फली (बुचानानियालांज़न)	126	एफ	अखिल भारत
9	हरीतिका (टरमिनालिया चेबुला)	15	एफ	अखिल भारत
10	रंगिनी लाख	200	एफ	अखिल भारत
11	कुसुमी लाख	275	एफ	अखिल भारत
12	कुसुम के बीज (शैलिककेरा ओलियोसा)	23	एफ	अखिल भारत
13	नीम के बीज (आजादीरस्टा इंडिका)	27	एफ	अखिल भारत
14	पुआद के बीज (कासिया टोरा)	16	एफ	अखिल भारत
15	बहेड़ा (टरमिनालिया बेल्लिरिका)	17	एफ	अखिल भारत
16	पहाड़ी झाड़ू घास (थायसानोलेना मैक्सिमा)	50	एफ	अखिल भारत
17	सूखी शिकाकायी की फली (अकैसिया कॉनसिन्ना)	50	एफ	अखिल भारत
18	बायल गूदा (सुखा) (ऐगले मार्मेलोस)	30	एफ	अखिल भारत
19	नागरमोथा (साइपरस रोटुंडास)	30	एफ	अखिल भारत
20	शतावरी की जड़ (सूखा) (ऐसपेरेगस रेसमोसुस)	107	एफ	अखिल भारत
21	गुड़मार / मधुनाशिनी (जिमनेमा सीलवेस्ट्रे)	41	एफ	अखिल भारत

22	कालमेघ (ऐंड्रोगाफिस पेनिकुलाटा)	35	एफ	अखिल भारत
23	इमली (बीज रहित) (टैमारिंडस इंडिका)	63	एफ	अखिल भारत
24	गुग्गुल (एग्ज्यूडेट्स)	812	एफ	अखिल भारत
25	महुआ के फूल (सूखे) (मधुकलोंगी फोलिया)	30	एफ	अखिल भारत
26	तेजपत्ता (सूखा) (सिन्नामोमुम तमाला तथा सिन्ना मोमुम एसपी)	40	एफ	अखिल भारत
27	जामुन के सूखे बीज (साइजियमकुमिनि)	42	एफ	अखिल भारत
28	आमले का सूखा गूदा (बीज रहित) (फायलांथस एमबिलिका)	52	एफ	अखिल भारत
29	भिलावां (मार्किंग नट्स)(सेमीकार्पस एनाकार्डियम)	9	एफ	अखिल भारत
30	रीठा (सूखा) (सैपिंडस एमार्जिनाटस)	14	एफ	अखिल भारत
31	भाव बीज (अमलतास) (कासिया फिसुला)	13	एफ	अखिल भारत
32	अर्जुन छाल (टर्मिनालिया अर्जुना)	21	एफ	अखिल भारत
33	कोकम (सूखा) (गारसिनिया इंडिका)	29	एफ	अखिल भारत
34	गिलोय (टीनोएस्पोरा कोर्डीफोलिया)	40	एफ	अखिल भारत
35	कौंच के बीज (मकुना प्रुरेंस)	21	एफ	अखिल भारत
36	चिरायता (स्वेरशिया चीराटा)	34	एफ	अखिल भारत
37	वायबिडिंग / वावडिंग (सूखा बीज) (एमबिलियारिब्स)	94	एफ	अखिल भारत
38	धवाईफूल सूखा फूल (वुडफोर्डीया फ्लोरिबंडा)	37	एफ	अखिल भारत
39	नक्स वोमिका (स्ट्राइक्नोसनक्स वोमिका)	42	एफ	अखिल भारत
40	बन तुलसी के पत्ते (सूखे) (ओसीम्मटेनुइफ्लोरम)	22	एफ	अखिल भारत
41	क्षीरनी (हेमीडेसमस इंडिकस)	35	एफ	अखिल भारत
42	बकुल (सूखी छाल)(मीमुसोपसइलेंगी)	46	एफ	अखिल भारत
43	कुटज (सूखी छाल) (होलरहेना पुबेसिन्स/ एच.एनीडायसेन्टेरिका)	31	एफ	अखिल भारत
44	नोनी / आल (सूखे फल) (मोरिंडासिट्रीफोलिया)	17	एफ	अखिल भारत
45	सोनापाठा / स्योनाक की फलियां (ओरोक्सीलम इंडिकम)	21	एफ	अखिल भारत
46	चनोथी के बीज (अबरूस प्रिकाटोरियस)	45	एफ	अखिल भारत
47	कालिहारी (सूखे कंद) (ग्लोरियोसा सुपरबा)	31	एफ	अखिल भारत
48	मकोय (सूखे फल) (सोलानम निग्रम)	34	एफ	अखिल भारत

49	अपंग पौधा (ऐकिरांथिस असपेरा)	28	एफ	अखिल भारत
50	सुगंधमंत्री की जड़ें/कंद होमोलोमिना एरोमैटिक)	38	एफ	अखिल भारत
51	वन तुलसी के बीज	16	एफ	अखिल भारत
52	वन जीरा	70	एफ	अखिल भारत
53	इमली का बीज	11	एफ	अखिल भारत
54	बांस झाड़ू	60	एफ	अखिल भारत
55	सूखा अनोला	60	एफ	अखिल भारत
56	कचरी बहेड़ा	20	पी	अखिल भारत
57	कचरीहर्र	23	पी	अखिल भारत
58	बीज लाख	677	एफपी	अखिल भारत
59	बीटल नट कच्चा	30	एपी	पूर्वोत्तर राज्य
60	सूखी सुपारी	200	एपी	पूर्वोत्तर राज्य
61	मशरूम (सूखा)	300	एपी	पूर्वोत्तर राज्य
62	काला चावल	100	ए	पूर्वोत्तर राज्य
63	जोहर चावल	50	ए	पूर्वोत्तर राज्य
64	मोटी (किंग) मिर्च	300	ए	पूर्वोत्तर राज्य
65	सरसों	40	ए	पूर्वोत्तर राज्य
66	कच्चा काजू	450	ए	पूर्वोत्तर राज्य
67	काजू	800	ए	पूर्वोत्तर राज्य
68	सूखी अदरक	50	एपी	पूर्वोत्तर राज्य
69	पेरिला	140	एपी	पूर्वोत्तर राज्य
70	रोज़ेला	200	ए	पूर्वोत्तर राज्य
71	अखरोट	150	ए	पूर्वोत्तर राज्य
72	सूखे ज़ैंथोक्सिलम	200	ए	पूर्वोत्तर राज्य
73	जैक फल बीज	45	ए	पूर्वोत्तर राज्य
74	तसर कोकून (क्रिसलिस)		एफ/एच	झारखंड राज्य
	रीलिंग क्लास ग्रेड- I (विनिर्देश - जब शेल का औसत वजन 1.55 ग्राम और उससे अधिक हो)	रु.3200/हजार संख्या		
	अन-रीलिंग ग्रेड- I (विनिर्देश - जब शेल का औसत वजन 1.40 ग्राम और उससे अधिक हो)	रु.1500/हजार संख्या		
75	कैश कर्नेल (एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटेल)	90	एफ/पी	अखिल भारत
76	हाथी सेब सूखा (डिलनिया इंडिका)	120	एफ/एच	पूर्वोत्तर राज्य
77	बांस की टहनी (फिलोस्टैचिस एडुलिस)	70	एफ	पूर्वोत्तर राज्य

78	मलकांगनी बीज (सेलास्ट्रूपैनीकुलेटस जंगली)	100	एफ	अखिल भारत
79	माहुल के पत्ते (बौहिनिया वाहली)	15	एफ	ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल
80	नागोड (विटेक्स नेगुंडो)	20	एफ	अखिल भारत
81	गोखरू (ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस)	60	एफ	अखिल भारत
82	पिपला / उचिथि (सूखे बेरी) (पाइपर पेडिकेलटम)	120	एफ	अखिल भारत
83	गम्हार / गमरी (सूखी छाल) (गमेलिना अर्बोरिया)	20	एफ	पूर्वोत्तर राज्य
84	ओरोक्सिलम इंडिकम (सूखी छाल) (ऑरोक्सिलम इंडिकम)	40	एफ	पूर्वोत्तर राज्य
85	जंगली मशरूम सूखा (अगारीकस्सप)	400	एफ	पूर्वोत्तर राज्य
86	श्रृंगराज (एक्लिप्टा अल्बा)	18	एफ /एम	अखिल भारत
87	ट्री मॉस (ब्रायोफाइट्स)	350	एफ/पी	कर्नाटक राज्य

"लघु वन उत्पादों की खरीद और विपणन" के संबंध में दिनांक 05.02.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *99 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-II

पीएमजेवीएम वीडीवीके की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	स्वीकृत की गई वीडीवीके की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	स्वीकृत निधियां (लाख रूपये में)
1	आंध्र प्रदेश	415	123258	6162.9
2	अरुणाचल प्रदेश	106	32897	1590
3	असम	495	150765	7425
4	छत्तीसगढ़	139	41700	2085
5	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	1	302	15
6	गोवा	10	3000	150
7	गुजरात	200	57968	2895.65
8	हिमाचल प्रदेश	4	1110	55.5
9	जम्मू एवं कश्मीर	100	29791	1457
10	झारखंड	146	43701	2174.7
11	कर्नाटक	140	41748	2087.4
12	केरल	44	12038	597.25
13	लद्दाख	10	3000	150
14	मध्य प्रदेश	126	37860	1890
15	महाराष्ट्र	279	83850	4185
16	मणिपुर	207	62,226	3088.45
17	मेघालय	169	50835	2534.1
18	मिजोरम	286	84268	4211.55
19	नागालैंड	347	104068	5203.4
20	ओडिशा	170	50094	2479.25
21	राजस्थान	505	152362	7513.55
22	सिक्किम	80	23801	1169.05
23	तमिलनाडु	8	2400	120
24	तेलंगाना	17	5100	255
25	त्रिपुरा	57	16116	776
26	उत्तर प्रदेश	25	7238	359.55
27	उत्तराखंड	12	3605	179.95
28	पश्चिम बंगाल	27	8227	402.45
कुल		**4125**	**1233328**	**61212.7**

पीएम जनमन वीडीवीके की स्थिति

क्र. सं.	राज्य / जिला	वीडीवीके स्वीकृत	लाभार्थी	स्वीकृत निधि (लाख रुपये में)
1	अंडमान और निकोबार	1	56	2.8
2	आंध्र प्रदेश	73	6,162	307.55
3	छत्तीसगढ़	16	2395	119.75
4	गुजरात	21	1,050	52.5
5	झारखंड	35	2,876	143.8
6	महाराष्ट्र	40	3,624	181.2
7	मणिपुर	2	600	30
8	तेलंगाना	25	1,461	73.05
9	त्रिपुरा	30	2,550	127.5
10	राजस्थान	51	8,842	442.1
11	कर्नाटक	33	1,836	91.8
12	केरल	7	537	26.85
13	मध्य प्रदेश	83	5,091	254.5
14	ओडिशा	66	5,244	262.95
15	तमिलनाडु	37	2,403	120.15
16	उत्तर प्रदेश	5	319	15.95
17	उत्तराखंड	9	634	31.7
18	पश्चिम बंगाल	5	278	13.9
कुल		**539**	**45958**	**2298.05**

"लघु वन उत्पादों की खरीद और विपणन" के संबंध में दिनांक 05.02.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *99 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक - III

2022 से एमएफपी खरीद की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य	2022-23		2023-24		2024-25	
		मात्रा मीट्रिक टन में	मूल्य (लाख रुपये में)	मात्रा मीट्रिक टन में	मूल्य (लाख रुपये में)	मात्रा मीट्रिक टन में	मूल्य (लाख रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	757.6	271.61	573.5	194.38	451.45	170.82
2	असम	15.49	7.67	117.05	59.94	0	0
3	छत्तीसगढ़	13864.34	4841.93	23117.09	4373.18	2928.2	1222.1
4	गुजरात	555.99	278.27	43.415	14.27	45.015	12.526
5	झारखंड जैस्कोलैम्पफ	0	0	0	0	0	0
6	झारखंड झामफकोफेड	500.50	181.85	0	0	0	0
7	कर्नाटक	77.77	87.81	42.897	78.26	114.82	65.6
8	केरल	**10.21**	**45.58**	**26.28**	**77.37**	**17.71**	**59.39**
9	मध्य प्रदेश	3530.26	1278.76	83.75	20.16	0	0
10	महाराष्ट्र	48.22	22.73	0	0	0	0
11	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
12	मिजोरम	1346.62	228.23	74.55	9.87	300.97	102.51
13	नागालैंड	13.65	7.047	49.74	32.94	60.94	33.04
14	ओडिशा	5946.76	2155.94	27347.69	7567.01	0	0
15	राजस्थान	0.35	0.79	1.04	11.38	1.07	2.41
16	तमिलनाडु						
17	त्रिपुरा	14.14	14.9	0	0	0	0
18	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0
19	पश्चिम बंगाल	62.88	18.931	0	0	0	0
	कुल योग	**26744.78**	**9423.12**	**51477.00**	**12438.77**	**3920.2**	**1668.4**

*****